उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

: 291/2022 तारीख दायर : 21.11.2022

अनवान

01. बदाम देवी पत्नि मांगीलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा(राज.)।

.... प्रार्थीया

बनाम

01. शम्भू पिता देराम जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी चैनपुरिया तहसील बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा(राज.)।
02. भंवरलाल पिता देराम जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी चैनपुरिया तहसील बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा(राज.)।

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0लें0रे0एक्ट

– : आदेश : –

दिनांक 28/3/2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया श्रीमती बदाम देवी पत्नि मांगीलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि **ग्राम चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा भू–अभिलेख निरिक्षक बिजौलियां कलां मे स्थित खाता संख्या 95 पर स्थित आराजी नं0 629/4, 642/4, 643/4 कुल खसरा संख्या 03 रकबा 1.2949 हैक्टेयर** भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा भू–अभिलेख निरिक्षक बिजौलियां कलां मे स्थित खाता संख्या 95 पर स्थित आराजी नं0 629/4, 642/4, 643/4 कुल खसरा संख्या 03 रकबा 1.2949 हैक्टेयर** की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 बिजौलियां कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस 500/– रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट बिजौलियां

जिला भीलवाडा (राज.)

क्रमांक / राजस्व / 2023 / 513   दिनांक 28 / 03 / 2023

प्रेषितिः–

तहसीलदार
बिजौलियां

विषयः– प्रकरण संख्या 21 / 2022   पत्थरगढी बाबत्।

1. श्रीमती बदाम देवी पत्नि मांगीलाल जाति खटीक निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

......................प्रार्थीया

बनाम

1. शम्भू पिता देराम जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी चैनपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. भंवरलाल पिता देराम जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी चैनपुरिया तहसील बिजौलियां जिलसा भीलवाड़ा (राज.)

.............विपक्षीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **ग्राम चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा भू–अभिलेख निरिक्षक बिजौलियां कलां मे स्थित खाता संख्या 95 पर स्थित आराजी नं0 629 / 4, 642 / 4, 643 / 4 कुल खसरा संख्या 03 रकबा 1.2949 हैक्टेयर** भूमि की पत्थरगढी बशामलाती सभी काश्तकारों एवं पडोसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढी की जावे। यदि विपक्षीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे। संबंधित को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे। प्रकरण में पत्थरगढी हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रुपये तय की जाती हैं। जो वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को अधिकतम 20 दिवस में प्रस्तुत करे

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा) सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner